19/16 कालूराम vs हनुमान

तामील, अपील सं. 1 हनुमान सं. उपस्थित, ओप के इन्तजार हेतु दिनांक 15/5/18 को पेश हो।

26/6/18 पत्रावली आज दिनांक को ~~[illegible]~~ आपके इस वादिका में प्रस्तुत हुई मुल्जाद में उभय पक्ष की सुनवाई कर प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं प्रार्थ पत्र के मुल्जाद के तय फैसला तक कार्यवाही किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद ही पार्ट दाखिल दफ्तर हो मुल्जाद के साथ कार्यवाही हो।

कालूराम
हनुमान
[illegible]
[illegible]
भगवान सिंह

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़